हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय
Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University
श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखण्ड)–246174
Srinagar Garhwal (Uttarakhand) - 246174
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University)

Ref.No.: HNBGU/ Ro /2025/ 323

Date: 22/09/2025

कार्यालय आदेश

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) से सम्बद्ध उत्तराखण्ड राज्य सरकार से अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव के सम्बन्ध में की जा रही पृच्छाओं के क्रम में समस्त सम्बन्धित प्राचार्यों को एतद्द्वारा अवगत कराया जाता है कि तत्सम्बन्ध में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उत्तराखण्ड शासन को सम्बन्धित संलग्न पत्रांक संख्याः ग॰वि॰वि॰/आर॰ओ॰/2025/307 दिनांक 18.09.2025 का संदर्भ ग्रहण करते हुए अशासकीय महाविद्यालयों द्वारा नियमानुसार लिंगदोह समिति सिफारिशों के अनुरूप अपने प्रबन्धित महाविद्यालय में महाविद्यालय प्रबन्ध स्तर पर छात्र संघ चुनाव आहूत करवाए जाने पर विश्वविद्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित–

1. समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय।
2. उप कुलसचचिव (मान्यता)।
3. सहायक कुलसचिव, कुलपति सचिवालय, माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
4. प्रभारी सिस्टम मैनेजर को विश्वविद्यालय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
5. कार्यालय प्रति।

कुलसचिव

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय
Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University
श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखण्ड)–246174
Srinagar Garhwal (Uttarakhand) - 246174
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University)
ईमेल / Email : registrar.hnbgu@gmail.com

पत्रांक : ग०वि०वि० / R0 / 2025 / 307 दिनांक : 18 / 09 / 2025

सेवा में,

सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

संदर्भः– अर्द्धशा0प0सं0 / 1244 / xxiv-c-3/20204-12(09)/2020-com-33189 दिनांक 17 सितम्बर, 2025 ।

महोदय,

कृपया मा0 कुलपति को सम्बोधित अपने उक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने हेतु उल्लेख किया गया है। तत्सम्बन्ध में अवगत कराना है कि :–

2. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय भारत का राजपत्र (असाधारण) सं0 27 द्वारा प्रख्यापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 द्वारा स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। संदर्भित अधिनियम की धारा **4(f)** के प्राविधानान्तर्गत राज्य विश्वविद्यालय के समय से निरन्तरता में सम्बद्ध महाविद्यालय / संस्थान यथावत इस केन्द्रीय विश्वविद्यालय से आतिथि सम्बद्ध हैं। इन सम्बद्ध महाविद्यालयों / संस्थानों जिनमें कि राज्य सरकार द्वारा अनुदान सूची में सम्मिलित अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय भी सम्मिलित हैं, हेतु इस विश्वविद्यालय द्वारा पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 एवं सुसंगत परिनियमों के प्राविधानानुरूप प्रवेश, पाठ्यक्रम निर्माण, परीक्षाओं का आयोजन एवं परिणाम तथा फलस्वरूप उपाधियों का वितरण एवं शिक्षकों के चयन में नियमानुसार आंशिक सहभागिता आदि का अनुरक्षण सुनिश्चित किया जाता है।

3. उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37 जिसके अन्तर्गत सम्बन्धित महाविद्यालयों / संस्थानों को सम्बद्धता और मान्यता प्राविधानित है, कि **उपधारा 4 में स्पष्टतया प्राविधानित है कि सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्ध समिति महाविद्यालय के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने और उनका नियंत्रण करने के लिए स्वतन्त्र होगा और उसके अनुरक्षण एवं रख–रखाव के लिए उत्तरदायी होगा एवं उसका प्राचार्य उसके विद्यार्थियों के अनुपालन के लिए और उसके कर्मचारीवृन्द पर अधीक्षक एवं नियंत्रण करने के लिए उत्तरदायी होगा।** तद्नुरूप हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा स्थापित अपने तीन परिसरों क्रमशः बिड़ला परिसर (श्रीनगर गढ़वाल), स्वामी राम तीर्थ परिसर (बादशाहीथौल टिहरी) एवं बी०गोपाल रेड्डी परिसर (पौड़ी) में प्रवेशित छात्रों से सुसंगत शुल्क प्राप्ति उपरान्त नियमानुसार छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया सम्पन्न की जाती रही है एवं इसके अतिरिक्त इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी भी महाविद्यालय / संस्थान में छात्र संघ चुनाव प्रक्रिया के विषय में कार्यवाही नहीं की जाती है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियमों में प्रख्यापित व्यवस्थानुरूप इस विश्वविद्यालय के सम्बद्ध महाविद्यालयों / संस्थानों में छात्र संघ चुनाव, हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) का विषय क्षेत्र नहीं है।

कृपया उपरोक्तानुसार अवगत होने का कष्ट करें।

कुलसचिव

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव कुलपति, मा० कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
4. गार्ड फाईल।

कुलसचिव

Seen